रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 389] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 1986/भाद्र 3, 1908
No. 389] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 1986/BHADRA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 1034(अ):—तेल क्षेत्र (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) की धारा 5 और 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 में आगे और संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम 1986 है।

2. ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 4 के उप नियम (1) में प्रयुक्त शब्दों, अक्षरों और अंकों "1-4-81 से इकसठ रुपये प्रति मी. टन" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "1 अप्रैल 1984 से एक सौ बानवे रुपये प्रति मी० टन" रखे जायें।

[फाइल सं. O-12014/2/84 ओ.एन.जी. डी. 4]

भूपेन्द्र सिंह लाम्बा, संयुक्त सचिव

नोट:—मूल्य नियम दिनांक 24 नवम्बर, 1959 की अधिसूचना संख्या 1288 में प्रकाशित किये गये थे जिनमें बाद में संशोधन किया गया था जिसके लिए निम्नलिखित अधिसूचनाएं देखें :—

1. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 161 दिनांक 3-2-73
2. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(ई) दिनांक 8-9-76
3. अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 211(ई) दिनांक 26-3-81

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 25th August, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 1034 (E) :—In exercise of the powers conferred by sections 5 and 6 of the Oilfields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, in rule 14, in sub-rule (1), for the words, letters and figures "at sixtyone rupees with effect from 1-4-1981 per metric tonne", the words, figures and letters "with effect from the 1st day of April, 1984 at the rate of one hundred and ninetytwo rupees per metric tonne" shall be substituted.

[F. No. O-12014|2|84-ONG D 4]
B. S. LAMBA, Jt. Secy.

NOTE : The printcipal rules were published vide notification No. 1288 dated 24th November, 1959 and subsequently amended by—

(1) Notification No. GSR-161 dated 8-2-73.
(2) Notification No. GSR-792 (E) dated 8-9-76.
(3) Notification No. GSR-211 (E) dated 26-3-81.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986